

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062023-246813 CG-DL-E-26062023-246813

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442]

No. 442]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 26, 2023/आषाढ़ 5, 1945 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 26, 2023/ASHADHA 5, 1945

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिस्चना

नई दिल्ली, 23 जून, 2023

फा. सं. बीसीआई:डी:3429/2023.—भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् नियम (राज्य विद्यिज्ञ परिषद्/भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के चुनाव के लिए योग्यता/अयोग्यता और चुनाव प्रक्रिया नियम और आचार संहिता) 2023

नियम और संशोधन :-

विधिज्ञ परिषद् के स्तर में सुधार करने के लिए और बार काउंसिलों में केवल ऐसे अधिवक्ताओं के चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिनका कोई बुरा इतिहास नहीं है और आपराधिक पृष्ठभूमि या कदाचार में लिप्त रहने वाले अधिवक्ताओं को शामिल करने / चुनाव और / या जारी रखने से रोकने के लिए, परिषद ने निम्नलिखित नियम और आचार संहिता करने का संकल्प लिया है। यह नियम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7 (1)(बी), (डी), (जी), (ई) सहपठित धारा 49(1)(ए), (एएच), (आई) के तहत बनाए जा रहे हैं। माननीय सदस्यों ने राज्य विद्यिज्ञ परिषद् में मतदाता होने और राज्य विद्यिज्ञ परिषद् और भारतीय विद्यिज्ञ परिषद का सदस्य बनने और / या बने रहने के लिए योग्यता और अयोग्यता निर्धारित करने का मृद्दा भी उठाया।

तदनुसार, कार्यालय ने राज्य विद्यिज्ञ परिषद् और भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ आचार संहिता के साथ साथ और ऐसी योग्यताओं और अयोग्यताओं के लिए नियमों को तैयार और प्रस्तावित किया है।

विद्यिज्ञ परिषद् के सदस्यों के लिए एक आचार संहिता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तदनुसार सदन अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा—7 सहपष्टि धारा—49 के तहत निम्नलिखित नियम बनाने का संकल्प लेता है। इसके अलावा निष्पक्ष चुनाव के लिए कुछ अनिवार्य दिशानिर्देशों और मतगणना प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से बचने के लिए भी विचार किया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा, भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् ने 9 जून 2023 के अपने संकल्प के तहत संकिल्पत किया है कि कोई भी अन्य पिछले नियम/प्रावधान जो किसी भी तरह से इन नियमों के विपरीत या विरुद्ध हैं तो वह निरस्त माना जाएगा और ये नियम अधिभावी प्रभाव रखेंगे अन्य सभी पिछले नियमों पर प्रभाव को निरस्त माना जाएगा।

4020 GI/2023 (1)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ट्रांसफर केस सिविल संख्या 126/2015 के निर्णय दिनांक 05.02.2018 के अनुसार, तीन सदस्यीय केन्द्रीय चुनाव सिमित/न्यायाधिकरण का भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् द्वारा गठित किया जाएगा जोकि किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में और किसी भी उच्च न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीशों से गठित होगा और भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार दिनांक 30.12.2020 को इस संबंध में नियमों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखों में अंतरवर्ती आवेदन संख्या 51257/2023 के माध्यम से एस0एस0पी0 (सिविल) संख्या 5440/2020 के अन्तरगत एम0ए0 संख्या 859/2020 एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या 82/2023 में भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के चुनाव के नियमों और प्रक्रिया में कुछ सुधार लाने संबंधी संकल्प लाया जा चुका है। परिषद ने इसके बाद 9 जून 2023 को इन सभी संकल्पों पर फिर से विचार किया और इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने का निर्णय मामूली संशोधनों के बाद लिया गया। इसलिए, 30 12 2020 से पहले या बाद में अधिसूचित कोई अन्य पिछला नियम/संकल्प या प्रावधान, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के विपरीत है, को निरस्त माना जाएगा।

अध्याय—**ा**

योग्यता और अयोग्यता:-

1 राज्य विद्यिज्ञ परिषद् के चुनाव में मतदाता होने की योग्यता :--

संबंधित राज्य विद्यिज्ञ परिषद् में नामांकित कोई भी अधिवक्ता जो भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (सत्यापन) नियम, 2015 (समय समय पर संशोधित) के अनुसार एक नियमित अभ्यासरत अधिवक्ता है तो यहां उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन विद्यिज्ञ परिषद् के चुनावों में मतदाता होने का हकदार होगा।

2 मतदाता होने की अयोग्यताएं:-

यदि कोई अधिवक्ता किसी आपराधिक मामले या अवमानना मामले में दोषी है, तो वह राज्य विद्यिज्ञ परिषद् का मतदाता होने के योग्य नहीं होगा। कोई भी अधिवक्ता जो भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् नियम 40 (चुनाव की तारीख से नौ महीने पहले) के तहत डिफॉल्टर है, राज्य विद्यिज्ञ परिषद् के चुनाव के लिए मतदाता नहीं होगा। (हालांकि, राज्य विद्यिज्ञ परिषद् इस शर्त को माफ कर सकती है और किसी भी अधिवक्ता का नाम मतदाता सूची में शामिल कर सकती हैं, यदि वह अंतिम निर्वाचक नामावली के प्रकाशन से पहले नियम 40 के तहत देय राशि का भुगतान कर देता / देती हैं)

3. राज्य विद्यिज्ञ परिषद् का सदस्य बनने के लिए योग्यता:--

कोई भी अधिवक्ता जो एक नियमित अभ्यासरत अधिवक्ता है और दोषी सिद्व सजाफता नहीं है और जिसे किसी भी अनुशासनात्मक समिति (विद्यिज्ञ परिषद् या भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के चुनाव के 9 महीने पहले की अवधि तक) द्वारा दंडित नहीं किया गया है, वह राज्य का चुनाव लड़ने का हकदार होगा। अधिवक्ता के पास संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त एक वैध प्रमाण पत्र और डिग्री होनी चाहिए। अमान्य प्रमाण पत्र या डिग्री के आधार पर प्राप्त नामांकन को किसी राज्य विद्यिज्ञ परिषद् का सदस्य होने के लिए वैध नहीं माना जाएगा। राज्य रोल पर ऐसे अधिवक्ता का नाम शामिल होने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति राज्य विद्यिज्ञ परिषद् का सदस्य नहीं बन सकेगा।

4 राज्य विद्यिज्ञ परिषद् और भारतीय राज्य विद्यिज्ञ परिषद् का सदस्य होने के लिए अयोग्यता:--

एक अधिवक्ता, किसी भी विद्यिज्ञ परिषद् का सदस्य होते हुए, किसी भी अनुशासनात्मक सिमित द्वारा दंडित नहीं किया जाना चाहिए और /या दोष सिद्व सजाफता नहीं होना चाहिए। चुनाव के 9 महीने से पहले उसके खिलाफ कोई भी गंभीर प्रकृति का आपराधिक मामला (7 साल या उससे अधिक के लिए सजा निर्धारित) लंबित नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ चुनाव के 9 महीने से पहले कोई अनुशासनात्मक सिमित का मामला लंबित नहीं होना चाहिए। उसे अधिवक्ता अभ्यास में नियमित होना चाहिए और किसी अन्य नौकरी या व्यवसाय में नहीं होना चाहिए। हस्तिलिप विशेषज्ञ का कार्य करने वाला या किसी वादी के समर्थन में गवाह के रूप में पेश होने वाला कोई भी अधिवक्ता किसी भी विद्यिज्ञ परिषद् का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी:—राज्य विद्यिज्ञ परिषद् /भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के ऐसे प्रत्येक चुनाव के नामांकन फॉर्म में उपरोक्त प्रभाव का कॉलम होना चाहिए और प्रस्तावक / समर्थक और उम्मीदवार को इन नियमों के अनुसार घोषणा करनी होगी, ऐसा न करने पर नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। उम्मीदवारी को रद्द करने और / या संबंधित विद्यिज्ञ परिषद् /भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् की सदस्यता से हटाने के साथ—साथ किसी भी तरह की जानकारी छुपाने पर उपयुक्त अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्यवाई की जाएगी।

अध्याय–II

5 विद्यिज्ञ परिषद के सदस्यों के लिए आचार संहिता :--

जानबूझकर या विचारपूर्वक किसी भी फर्जी समाचार को प्रकाशित करना या किसी भी (न्यायाधीश या अधिवक्ता) की छवि खराब करने के इरादे से कोई गंदा या धमकी भरा बयान देना, या सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के इरादे से या किसी भी अवैध स्व—लाभ के लिए प्रचार करना कदाचार की श्रेणी में आएगा, जिसके परिणामस्वरूप चुनाव में उम्मीदवारी रद्द हो सकती है या किसी विद्यिज्ञ परिषद् के सदस्य को हटाया जा सकता है।

- 6 राज्य विद्यिज्ञ परिषद चुनाव के लिए आचार संहिता:-
- क किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिए नकद या वस्तु के रूप में कुछ भी देना या स्वीकार करना एक गंभीर भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। इस संबंध में कोई भी शिकायत, यदि केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण / समिति (टीसी केस संख्या 126 / 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05 02 2020 की अधिसूचना द्वारा गठित) के समक्ष साबित हो जाती है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसा व्यक्ति; या चुनाव के परिणाम के बाद भी ऐसे सदस्य को विद्यिज्ञ परिषद से हटाया भी जा सकता है। इस तरह कि निष्कासन के मामले में, अंतिम उम्मीदवार जो निष्कासन की कतार में था, उसे राज्य विद्यिज्ञ परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
- ख कदाचार का आश्रय लेना, अभद्र भाषा या राष्ट्र—विरोधी या संस्थागत—विरोधी भाषण का उपयोग करना, किसी न्यायाधीश, विद्यिज्ञ परिषद या किसी उम्मीदवार के खिलाफ आपित्तिजनक या मानहानिकारक शब्दों या धमकी भरे शब्दों का उपयोग करना या इरादे से झूठा या अस्पष्ट या गलत आरोप लगाना किसी भी उम्मीदवार या सदस्य की प्रतिष्ठा या छवि को नुकसान पहुंचाना गंभीर कदाचार और भ्रष्ट आचरण माना जाएगा; और यदि केंद्रीय चुनाव सिनित्र—त्यायाधिकरण के समक्ष अंतिम रूप से साबित हो जाता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति निर्वाचित घोषित हो, तो भी केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण/सिनिति ऐसे व्यक्ति को विद्यिज्ञ परिषद या राज्य विद्यिज्ञ परिषद की सदस्यता से हटा सकती है।
- ग् सोशल, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया पर वायरल किया गया कोई भी अपमानजनक या मानहानिकारक या उत्तेजक संदेश या बयान या वीडियो या ऑडियो या भाषण इन नियमों के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए एक सामग्री और ठोस सबूत हो सकता है और इन नियमों के तहत सजा के लिए पर्याप्त हो सकता है।
- घ किसी भी मीडिया (सोशल, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट) पर ऐसा कोई आपित्तिजनक / मानहानिकारक संदेश या बयान या वीडियो या ऑडियो या भाषण या धमकी किसी उम्मीदवार को राज्य विद्यिज्ञ परिषद् या भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् का सदस्य बनने से अयोग्य ठहरा सकता है।
- ड़ केंद्रीय चुनाव ट्रिब्यूनल / समिति ऐसे व्यक्तियों को अगला चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित कर सकती है या यदि आरोप बहुत गंभीर हैं, तो उन्हें केंद्रीय चुनाव ट्रिब्यूनल / समिति द्वारा भविष्य में किसी भी विद्यिज्ञ परिषद् के चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

अध्याय-III

7 शिकायत / विवादों के संबंध में प्रक्रिया:-

राज्य विद्यिज्ञ परिषद् के चुनाव के दौरान या उससे पहले अगर कोई दुर्व्यवहार या भ्रष्ट आचरण या आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत हो तो कोई भी अधिवक्ता या कोई भी व्यक्ति, रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत कर सकता है, अंतिम निर्णय के लिए शिकायत और अन्य सामग्रियों के साथ मामले को रिटर्निंग ऑफिसर (आर०ओ०) या पर्यवेक्षक (जैसा भी मामला हो) केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण/समिति को संदर्भित करते हुए रिपोर्ट करेगा। शिकायतें/रिपोर्ट/सिफारिशें ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों में की जा सकती हैं।

केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण / समिति शिकायतकर्ता और उम्मीदवार / सदस्य (जैसा भी मामला हो) को उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने से पहले या शिकायत पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर देगी। केंद्रीय चुनाव आयोग / ट्रिब्यूनल अपने निर्णय का कारण बताएगा। सुनवाई पार्टियों की सुविधा के आधार पर हाइब्रिड मोड में की जाएगी।

8 विद्यिज्ञ परिषद् की सदस्यता से हटाने की प्रक्रिया:-

यदि किसी विद्यिज्ञ परिषद् का सदस्य ऐसा कदाचार करता है या भ्रष्ट आचरण अपनाता है या आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो विद्यिज्ञ परिषद् का सामान्य सदन ऐसे सदस्य को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकता है और अंतिम निर्णय के लिए विषय को केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण / सिमित को भेजेगा। संबंधित सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के बाद अनुमोदन या अस्वीकृति के मामले में केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण / सिमित अपना निर्णय लेगी और एक अनुभवी आदेश पारित करेगी।

केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण / समिति इस संबंध में प्रक्रिया का विवरण निर्धारित करते हुए अपने स्वयं के विनियम बनाएगी।

अध्याय-IV

9. भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् की केंद्रीय चुनाव अपीलीय समिति / ट्रिब्यूनल:-

पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुरक्षित करने के लिए और अदालतों में मुकदमों की बहुलता से बचने के लिए और चुनाव विवादों के शीघ्र निपटाने के लिए भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् की एक चुनाव अपीलीय समिति होगी जो माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् द्वारा नामित कि जायेगी जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शामिल होंगे और उच्च न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीश भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् द्वारा नामित किए जायेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति / ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किसी भी अंतिम आदेश / निर्णय को इस चुनाव अपीलीय समिति (जिसे भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् का चुनाव अपीलीय ट्रिब्यूनल भी कहा जा सकता है) के समक्ष केंद्र चुनाव समिति / ट्रिब्यूनल के आदेश / निर्णय को 15 दिनों की अवधि के भीतर चुनौती दी जा सकती है।

केंद्रीय चुनाव समिति और अपीलीय समिति का सचिवालय भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के परिसर में होगा।

अपीलय चुनाव समिति अपीलों के निपटान के लिए अपने स्वयं के विनियम बनाएगी। अपीलीय समिति के समक्ष सुनवाई पार्टियों की सुविधा के आधार पर हाईब्रिड मोड में होगी। पक्षकारों की सुविधा के अनुसार याचिकाकर्ताओं/अपीलों/जवाबों/प्रत्युत्तरों का अभिवचन ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है।

अध्याय−V

निर्वाचन एवं मतगणना के अनिवार्य नियम एवं दिशा निर्देश:-

10. (क) रिटर्निंग ऑफिसर या तो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या वरिष्ठ अधिवक्ता होना चाहिए। हालांकि, यदि रिटर्निंग अधिकारी एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, तो विद्यिज्ञ परिषद् को चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त करना चाहिए। बशर्तें कि एक विद्यिज्ञ परिषद् पूर्व न्यायाधीशों को रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर दोनों के रूप में नियुक्त कर सकती है।

विद्यिज्ञ परिषद् जरूरत पड़ने पर रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर की नियुक्ति के मामले में भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् से सलाह ले सकती है। हालाँकि, यदि आवश्यक हो, तो इस संबंध में किसी विद्यिज्ञ परिषद् में कोई गंभीर विवाद होने पर केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण / समिति रिटर्निंग ऑफिसर / ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर सकती है। ऐसे मामलों में केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण / समिति का आदेश अंतिम होगा।

टिप्पणी:—गंभीर विवाद का अर्थ उस विवाद से है जहां किसी रिटर्निंग ऑफिसर या ऑब्जर्वर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर या को—ऑब्जर्वर के नाम पर सदस्यों के बीच तीखा मतभेद हो।

- (ख) मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी है और वीडियोग्राफी को पेन—ड्राइव में रखा जाना है; आर०ओ० द्वारा एक पेन—ड्राइव केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण / समिति को भेजी जाएगी।
- (ग) निष्पक्ष, लेकिन शांतिपूर्ण मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए और मतपेटियों, पैकेटों, मतदान पत्रों स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों और /या उनके एजेंटों को मतगणना हॉल के आंतरिक अनुभागों में प्रवेश करने की अनुमित नहीं दी जानी चाहिए (या बक्सों, पैकेटों या मतदान पत्रों तक भौतिक पहुंच प्राप्त करने के लिए) वे केबिनों में, बेरिकेड्स के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे जहां मतदान पत्रों की गिनती की जाती है। किसी को भी मतगणना स्टाफ के पास नहीं जाने दिया जाएगा और उम्मीदवारों / एजेटों को जहां मतगणना हो रही है, उस स्थान से कम से कम 9 फीट की दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
- (घ) किसी भी मतदान अधिकारी या किसी सहायक रिटर्निंग अधिकारी या सह—पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर किसी भी मतदान पत्र / उपयोग किए गए मतपत्र की वैधता के पर्याप्त प्रमाण होंगे। इसके अलावा, विद्यिज्ञ परिषद् को (जहाँ तक संभव हो) बुथ—वार मतगणना से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह संस्था में गूटबाजी और भाई भतीजावाद को बढावा देता है।
- (इ) किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान पूरा होने के बाद मतपेटियों और पैकेटों (यदि कोई हो) को मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर से सील कर दिया जाएगा। मतदान अधिकारी (i) उनके द्वारा प्राप्त मतपत्रों की कुल संख्या; (ii) डाले गए मतों की कुल संख्या; (iii) अप्रयुक्त मतपत्रों की कुल संख्या; और (iv) बक्सों और पैकेटों की कुल संख्या। इन सभी विवरणों का उल्लेख विद्यिज्ञ परिषद् के सचिव (जो राज्य विद्यिज्ञ परिषद् का स्थायी अधिकारी / कर्मचारी है) के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (उस स्थान पर जहां स्ट्रांग रूम स्थित है) द्वारा आपूर्ति किए गए एक रिजस्टर (पेच) पर किया जाएगा। रिजस्टर के प्रासंगिक पृष्ठ को मतदान अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए या सहायक रिटर्निंग अधिकारी (आरओं) सह—पर्यवेक्षकों में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- (च) किसी भी मतदान केंद्र / बूथ पर मतदान की वैधता और वास्तविकता को साबित करने के लिए, हस्ताक्षर के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में (या तो मतदान अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी या सहायक पर्यवेक्षक का) कोई भी एक हस्ताक्षर अगर सही पाया जाता है (रिटर्निंग अधिकारी या पर्यवेक्षक द्वारा) तो पर्याप्त होगा।
- (छ) किसी भी स्थिति में इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत के आधार पर मतगणना की प्रक्रिया को नहीं रोका जाएगा। हालांकि, अगर कोई वास्तविक मांग है, तो पर्यवेक्षक किसी भी प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को मतगणना स्थल में प्रवेश करने की अनुमित दे सकता है, परन्तु एक समय में एक से अधिक अभ्यर्थी को मतगणना कक्ष में प्रवेश करने की अनुमित नहीं दी जायेगी; और जल्द ही चीजों की पुष्टि करने के बाद, उम्मीदवार हॉल/जगह छोड़ देंगे।

हालांकि, वीडियोग्राफी के माध्यम से प्रत्येक मतपत्र/मतदान पत्र और मतदान के प्रासंगिक चिन्ह को उम्मीदवारों/उनके एजेंटों को आवश्यकतानुसार कई टी०वी० स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जाएगा और इसे रिकॉर्ड करके पेन—ड्राइव में संग्रहित किया जाना चाहिए। वीडियोग्राफी के दौरान उम्मीदवारों/उनके एजेंटों को वास्तविक मतदान चिन्ह दिखाए बिना कोई मतगणना नहीं की जाएगी।

अध्याय-VI

मतगणना के दौरान कदाचार के परिणाम :--

11 रिटर्निंग ऑफिसर या ऑब्जर्वर किसी भी तरह के गुंडागर्दी, निराधार विरोध, रिटर्निंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर या काउंटिंग टीम आदि के खिलाफ नारेबाजी करने वाले किसी भी व्यक्ति की उम्मीदवारी को रद्द करने की सिफारिश कर सकते हैं और / या यदि कोई उम्मीदवार या उसका मतगणना या चुनाव के दौरान कोई एजेंट अनावश्यक गड़बड़ी पैदा करने या धक्का—मुक्की करने में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी सामग्री के साथ केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण / समिति को रद्द करने की सिफारिश की जा समती है।

किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने का कोई भी आदेश रिटर्निंग ऑफिसर/ऑब्जर्वर के आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण/समिति द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा।

केंद्रीय चुनाव समिति उन उम्मीदवारों को सुनने के बाद अपना तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगी जिनके खिलाफ शिकायत की गई है।

अध्याय-VII

विवाद का समाधान :--

कोई भी उम्मीदवार, अगर इन मामलों में व्यथित महसूस करता है, या उसे कोई शिकायत है, तो वह परिणाम के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण /भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् की समिति के समक्ष चुनाव याचिका दायर कर सकता है।

हालांकि, एक वैध चुनाव याचिका दायर करने के लिए, उम्मीदवार को, जब कार्यवाई का कारण बना उसी दिन रिटर्निंग ऑफिसर और / या पर्यवेक्षक के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी।

शिकायत आधारों और सबूतों के विवरण का खुलासा करेगी, यदि कोई हो।

रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षक के कार्यालय में एक बार ऐसी शिकायत प्राप्त होने के बाद, रिटर्निंग अधिकारी और /या पर्यवेक्षक संबंधित दस्तावेजों /रजिस्टर को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए कार्यालय को आदेश जारी कर सकते है। (छायाप्रति को सीलबंद करके रखा जाना चाहिए) जिसे चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण / समिति द्वारा कभी भी मांगा जा सकता है।

अध्याय-VIII

12 सत्यापन नियमावली 2015 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टी०सी० (सिविल) संख्या 126/2015 और रिट पेटिशन (सिविल) संख्या 82/2023 भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (सत्यापन) नियम, 2015 में निम्नलिखित नियम—8ए को जोड़ा जाएगा।

प्रासंगिक संशोधित नियम इस प्रकार होंगे:-

"नियम—8(ए):—राज्य विद्यिज्ञ परिषद् जल्द से जल्द संबंधित परीक्षा बोर्डों / विश्वविधालयों को सत्यापन के लिए प्रमाणपत्रों की छाया प्रतियां भेजेगा। राज्य विद्यिज्ञ परिषद् सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर अपना निर्णय लेगी। यदि कोई प्रमाण पत्र नकली या जाली या अमान्य या मान्यता प्राप्त नहीं है या अविधिमान्य पाया जाता है, तो संबंधित राज्य विद्यिज्ञ परिषद् भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के संज्ञान में लाएगी और भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् ऐसे व्यक्ति को सुनवाइ का अवसर देने के उपरान्त उस व्यक्ति का नाम अधिवक्ताओं की सूची से हटा देगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रमाण पत्र या डिग्री, यदि यह पाया जाता है कि संबंधित बोर्ड / विश्वविधालय द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है या यदि प्रमाण पत्र या डिग्री राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविधालय द्वारा जारी नहीं किया गया है, तो ऐसा प्रमाण पत्र या डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं है तो अमान्य माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति का नाम अधिवक्ताओं की नामावली से हटा दिया जायेगा। नकली या अमान्य या गैरमान्यता प्राप्त डिग्री या प्रमाणपत्र धारकों को हटाने के लिए इस प्रावधान का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा।

अध्याय–IX

विविध

13 नियमों का अध्यारोही प्रभाव:-

इन नियमों के प्रावधानों का राज्य विद्यिज्ञ परिषद् या भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के चुनावों के संबंध में भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् या किसी अन्य राज्य विद्यिज्ञ परिषद् के पिछले सभी संकल्पों / नियमों पर व्यापक प्रभाव होगा।

14 कठिनाइयों का निवारण :--

इन नियमों के अर्थ, व्याख्या, निष्पादन के बारे में किसी भी संदेह या विवाद के मामले में, भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् ऐसे मुद्दों को निपटाने के लिए अंतिम प्राधिकरण होगा और इसका निर्णय अंतिम होगा।

श्रीमंतो सेन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./223/2023-24]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2023

F. No. BCI:D:3429/2023.—Bar Council of India Rules (for qualification/Disqualification and produce for election and code of conduct for the elections of S.B.C/B.C.I.) 2023

Rules and Amendments: -

In order to improve the standard of the Bar Councils and to ensure the elections only of practicing Advocates as Member of Bar Councils, who have no bad antecedents and to stop the inclusion/election and/or continuation of Advocates having criminal antecedents or misconduct, the Council has resolved to make the following Rules and Code of conducts. The Rules are being framed under Section 7(1)(b), (d), (g), (e) read with Section 49(1)(a), (ah), (i) of the Advocates Act, 1961. The Hon'ble Members also raised the issue of laying down the qualifications and disqualifications for being a voter in the State Bar Council and for becoming and/or remaining a Member of State Bar Council and Bar Council of India.

Accordingly, the office has framed and proposed the Rules for such qualifications and disqualifications and also certain Code of Conduct has been provided for the candidates contesting the elections of State Bar Council and Bar Council of India.

A Code of Conduct is also equally important for the Members of Bar Councils. The House accordingly resolves to make the following Rules under Section-7 r/w Section-49 of the Advocates' Act, 1961. Besides some mandatory guidelines for fair election and to avoid unnecessary delays in counting process are also necessary to be considered, which are prescribed herewith.

Further, the Bar Council of India vide its resolution dated 9th June 2023 has resolved that any other previous Rules/provisions in this regard, which are in anyway contrary or are in conflict with these Rules, shall be deemed to have been repealed, and these Rules shall have overriding effect over all other previous Rules.

As per the verdict of Hon'ble Supreme Court dated 5.2.2018 passed in T.C. No. 126 of 2015, the three men-Central Election Committees/Tribunals headed by a former Chief Justice of some High Court and consisting of two former Judges of any High Court(s) was to be constituted by the Bar Council of India; and the B.C.I. has already notified Rules in this regard vide Notification dated 30.12.2020 in accordance with the verdict of Hon'ble Apex Court. The part of those Rules which are not in any way contrary to this Rules shall remain operative.

In order to bring certain reforms in the Rules and procedure of elections of Bar Councils, these resolutions were also brought on record of Hon'ble Supreme Court of India vide I.A. No.51257 of 2023 in M.A. No. 859 of 2020 in S.L.P. (C) No. 5440 of 2020 and in W.P. No. 82 of 2023. The Council, thereafter, reconsidered all these Resolutions again on 9th June, 2023 and the decision to get it published in Official Gazette was taken after minor modifications. Therefore, any other previous Rule/resolution or provision notified prior or subsequent to 30.12.2020, if is contrary to the above order of Hon'ble Apex Court, shall be treated to have been repealed.

Chapter-I

Qualifications and disqualifications:-

1. Qualifications for being a voter in the elections of State Bar Council: -

Any Advocate enrolled with the concerned State Bar Council who is a regular practitioner as per Bar Council of India Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015 (as amended from time to time) shall be entitled to be a voter in the elections of Bar Council subject to other conditions mentioned herein.

2. Disqualifications for being a voter: -

If an Advocate is a convict in any Criminal Case or in Contempt Case, he/she shall not be qualified to be a voter of State Bar Council. Any Advocate who is a defaulter under Rule-40 of Bar Council of India Rules (prior to nine months from the date of election) shall not be a voter for the elections of State Bar Council. (Howere, the State Bar Council may waive this condition and include the name of any Advocate in th list of voter, if he/she clear the dues under Rules 40 before the publication of final elctorla roll)

3. Qualification for being a Member of State Bar Council(s):-

Any Advocate who is a regular practitioner and not a convict and who has not been punished by any Disciplinary Committee (of Bar Council or Bar Council of India till the period before 9 months of the election), shall be entitled to contest the election of State Bar Council. The Advocate should have a valid certificate & degrees duly recognized by concerned State Government. Any enrolment procured on the basis of an invalid certificate or degree shall not be treated to be valid for being a Member of any State Bar Council, irrespective of the inclusion of such Advocate on the State-roll.

4. Disqualification for being a Member of State Bar Council(s) and Bar Council of India: -

An Advocate, for being a Member of any Bar Council should not have been punished by any Disciplinary Committee and/or should not be a convict. There should be no Criminal case of serious nature (prescribing punishment for 7 years or more) pending against him/her prior to 9 months of the election. There should be no Disciplinary Committee Case pending before 9 months of election against him/her. He/she should be regular in practice and should not be in any other job or occupation. Any Advocate doing work of Handwriting expert or appearing as a witness in support of any litigant, shall not be eligible to be a Member of any Bar Council.

NOTE:- The nomination form of every such election of State Bar Council/Bar Council of India should contain the column to the aforesaid effect and the proposer/seconder and the candidate shall be required to make the declarations in accordance with these Rules, failing which the nomination paper shall be rejected. Any concealment shall attract appropriate disciplinary and criminal action, besides the cancellation of candidature and/or removal from Membership of concerned Bar Council/Bar Council of India.

Chapter-II

5. Code of Conduct for Members of Bar Council:-

Flashing/Publishing any fake news wilfully or deliberately OR propaganda making any dirty or threatening statement with ulterior motive to malign image of anybody (Judge or Advocate), or with an intent to gain cheap popularity or for any illegal self-gain shall amount to misconduct, which may result in cancellation of candidature in election or removal of a Member from any Bar Council.

- 6. Code of Conduct for State Bar Council Elections:-
- A. Offering or accepting anything either in cash or in kind for casting vote in favour of any candidate shall be treated to be a serious corrupt practice. Any complaint in this regard, if proved before the Central Election Tribunal/Committee (constituted vide Notification as per order of Hon'ble Apex Court in T.C. Case No. 126/2015 dated 5th February, 2020) shall result in cancellation of the candidature of such person; or such member may also be removed, from the Bar Council, even after result of election. In case of such removal, the last candidate who was in the queue of elimination, shall be inducted as a Member of State Bar Council.
- B. Taking shelter of mal-practice, using hate speech or anti-national or anti-institutional speech, using offensive or defamatory words or threatening words against any Judge, Bar Council or any candidate or making false or vague or bald allegation with an intent to damage the reputation or image of any candidate or Member shall be treated to be serious misconduct and corrupt practice; and if proved finally before the Central Election Committee/Tribunal, such conduct/practice may debar such candidate from contesting election; And if any such person has been declared elected, the Central Election Tribunal/Committee may remove such person from the membership of the Bar Council or Bar Council of India.
- C. Any offensive or defamatory or provocative message or statement or video or audio or speech made viral on social, electronic or print media may be a material and substantive evidence to attract the provisions of these Rules and may be sufficient for the punishment under these Rules.
- D. Any such offensive/defamatory message or statement or video or audio or speech or threat on any media (social, electronic or print) may disqualify a candidate from becoming a Member of State Bar Council or Bar Council of India.
- E. The Central Election Tribunal/Committee may also debar such persons from contesting the next election or if the charges are very serious, he/she may be debarred from contesting any election of any Bar Council in future by the Central Election Tribunal/Committee.

Chapter-III

7. Procedure regarding complaint/ disputes: -

The complaint of mal or corrupt practice or violation of Code of Conduct if made during or prior to the election of State Bar Council, may be made by any Advocate or anybody to the Returning Officer who shall report the matter to the Returning Officer (R.O.) or Observer and the R.O. or the Observer (as the case may be) shall refer the matter to the Central Election Tribunal/Committee alongwith the complaint and the other materials for the final decision. The complaints/Reports/Recommendations may be made online or offline or both.

The Central Election Tribunal/Committee shall give the complainant and the candidate/member (as the case may be) an opportunity of hearing before cancelling the candidature of the candidate or before taking a final decision on the complaint. The Central Election Commission/Tribunal shall assign the reason for its decision. The hearings shall be made in hybrid mode depending on the convenience of the parties.

8. Procedure for removal from Membership of Bar Council: -

If the Member of any Bar Council commits such misconduct or adopts corrupt practice or violates the Code of Conduct, as presecrbed under chapter-II of these Rules, the General House of Bar Council may pass a resolution for the removal of such member and refer the matter to Central Election Tribunal/Committee for its final approval. The Central Election Tribunal/Committee shall take its decision on the matter of approval or disapproval after giving an opportunity of hearing to the concerned Member and shall pass a seasoned order.

The Central Election Tribunal/Committee shall frame its own Regulations laying down the details of procedure in this regard.

Chaper-IV

9. Central Election Appellate Committee/Tribunal of Bar Council of India:-

In order to secure transparency and fairness and also to avoid the multiplicity of litigations in courts and for early disposal of the election disputes, there shall be an Election Appellate Committee of Bar Council of India consisting of a former Judge of Supreme Court of India to be nominated by Bar Council of India in consultation with Hon'ble the Chief Justice of India and two former Judges of High Court(s) to be nominated by Bar Council of India. Any final order/decision passed by the Central Election Committee/Tribunal can be challenged before this Election Appellate Committee (which may also be called the Election Appellate Tribunal of Bar Council of India) within a period of 15 days of the order/decision of Central Election Committee/Tribunal.

The Central Election Committee and the Appellate Committee shall have their secretariate in the premises of Bar Council of India.

The Appellate Election Committee shall frame its own Regulations for the disposal of appeals. The hearings before the Appellate Committee shall be in Hybrid Mode depending upon the convenience of the parties. The pleadings of petitioners/appeals/Replies/Rejoinders may be online or offline as per convenience of the parties.

Chapter-V

Mandatory Rules and Guidelines for election and counting:-

10. (A) The Returning Officer should be either a former Judge of High Court or a Senior Advocate. However, if the Returning Officer is a Senior Advocate, the Bar Council should appoint a former Judge of High Court as the Observer for the election. Provided that a Bar Council can appoint former Judges as Returning Officer and Observer both.

The Bar Council may consult the Bar Council of India in the matters of appointments of Returning Officer and Observer, if need be. However, if required, the Central Election Tribunal/Committee may also appoint Returning Officer/Observer, when there is any serious dispute in any Bar Council in this regard. The Order of Central Election Tribunal/Committee shall be final in such matters.

NOTE: Serious dispute means a dispute where there is a sharp division among the members on the name of any Returning Officer or Observer or Assistant Returning Officer(s) or Co-observers.

- (B) The entire process of the counting of votes is to be videographed and the videography is to be kept in a pen-drives; one pen-drive shall be sent to the Central Election Tribunal/Committee by the R.O..
- (C) In order to ensure fair, but, peaceful counting process and to ensure safety of ballot boxes, packets, voting papers, strong-rooms, the candidates and/or their agents should not be permitted to enter into the counting hall's internal sections (or to have physical access to the boxes, packets or voting papers). They shall not enter in the cabins, inside barricade where voting papers are counted. Nobody should be allowed to go near the counting staff; and the candidates/agents should keep at least a distance of 9 feet away from the place where the counting is takes place.
- (D) The signature of either polling officer or any Assistant Returning Officer or Co-observer shall be sufficient proof the validity of any voting paper/used ballot paper. Moreover, the Bar Councils should (as far as is practicable) try to avoid the booth-wise counting, as it encourages groupism and nepotism in the Institution.
- (E) After the voting is complete on any polling booth, the ballot boxes and packets (if any), shall be sealed with the signature of polling officer. The polling officer will mention the details of (i) Total number of ballot papers received by them; (ii) Total number of votes polled; (iii) Total number of unused ballots; and (iv) Total number of boxes and packets. All these details shall be mentioned on a register (page) supplied by the Returning Officer/Assistant Returning Officer (at the place where strong room is located) through the Secretary of Bar Council (who is a permanent Officer/employee of the State Bar Council). The relevant page of register should be duly signed by the polling officer or should be signed by any one of the Assistant Returning Officer(s) or any one of the Co-Observers.
- (F) In case of any dispute with regard to signature (either of polling officer or of Assistant Returning Officer or of Assistant Observer) any one signature if found genuine (by the Returning officer or Observer) shall be sufficient to prove the validity and genuineness of the polling at any polling station/booth.
- (G) In no event the process of counting shall be stopped on the basis of any sort of complaint in this regard.

Provided that, if there is a genuine demand, the Observer may permit any candidate to enter into counting place in order to remove any sort of doubt. But not more than one candidate shall be permitted to enter the counting hall at one time; And soon after verifying the things, the candidate shall leave the hall/place.

Provided further that, through videography each ballot/voting paper and the relevant mark of voting shall be shown to the candidates/their agents through as many TV Screen(s) as required and it should be recorded and stored in pendrives. No counting shall be held without showing the actual voting mark(s) to the candidates/their agents in course of videography

Chapter-VI

Consequences of Misconduct during counting: -

11. The Returning Officer or the Observer may recommend the cancellation of the candidature of anyone who is found to indulge in any sort of hooliganism, baseless protest, shouting slogans against the Returning Officer, Observer or counting team etc. and/or if any candidate or his agent is found to indulge unnecessary disturbance causing hurdle or in manhandling or marpit either in course of counting or the election, the candidature of such candidate may be recommended for cancellation to the Central Election Tribunal/Committee along with the materials.

Any order of cancellation of candidature of any candidate shall be required to be passed by the Central Election Tribunal/Committee within 24 hours of receipt of order of Returning Officer/Observer.

The Central Election Committee shall pass its reasoned order after hearing the candidates against whom the complaint is made.

Chapter-VII

Resolution of Dispute:-

Any candidate, if feels aggrieved, or has any complaint in these matters may file an election petition before the Central Election Tribunal/Committee of Bar Council of India within 15 days of publication of result.

However, for filing a valid election petition, the candidate shall be required to lodge his complaint before the Returning Officer and/or the Observer on the same day when the cause of action arises.

The complaint shall disclose details of grounds and the evidence, if any.

Once such complaint is received in the office of Retuning Officer and the Observer, the Returning Officer and/or the Observer may issue an Order to the Office to keep the concerned Documents/ Register in safe custody (with the xerox copy to be kept in sealed cover), which may be called for by Central Election Tribunal/Committee anytime during the hearing of Election Petition.

Chapter-VIII

12. In order to make the verification Rules 2015 more effective and purposeful in the light of the order (s) of Hon'ble Supreme Court in T.C. (Case) No. 126/2015 and W.P. No. 82/2023 following Rule – 8A is being added herewith in Bar Council of India Certificate and Place of Practice (verification) Rules, 2015

The relevant amended Rules shall be as follows: -

Rule – 8(A):-The State Bar Council shall send the xerox copies of certificates for verification to the concerned Examination Boards/Universities at the earliest. The State Bar Council shall take its decision on the basis of report of verification. If any certificate is found to be fake or forged or unrecognised or invalid, the concerned State Bar Council shall bring into the notice of the Bar Council of India and Bar Council of India shall remove the name of such person from the roll of advocates after giving him/her an opportunity of being heard.

It is made clear that any certificate or degree, if it is found to be not verified by the concerned Board/University or if the certificate or degree is issued by a Board/University not recognised by the State Govt., such certificate or Degree shall be treated to be invalid; and the name of such person shall be removed from the roll of Advocates. This provision shall have retrospective effect in order to remove the holders of fake or invalid or unrecognised degrees or certificates.

Chapter-IX

Miscellaneous

13. Rules to have overriding effect:-

The provisions of these Rules shall have overriding effect over all the previous resolutions/rules or rules of Bar Council of India or any other State Bar Council with regard to elections of State Bar Council or Bar Council of India.

14. Removal of difficulties:-

In case of any doubt or dispute as to the meaning, interpretation, execution of these Rules arises, the Bar Council of India shall be the final authority to settle such issues and its decision thereon shall be final.

SRIMANTO SEN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./223/2023-24]